[2022] 13 एस. सी. आर. 569

क.

बी. आर. पाटिल

वी.

तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस।

(सिविल अपील सं.2652-2654 2013 का) फरवरी 09,2022

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश II आर।2,3 - कार्रवाई के कारणों का जॉइंडर-आदेश II आर।3 किसी वादी को एक ही मुकदमे में कार्रवाई के दो या दो से अधिक कारणों को शामिल करने के लिए मजबूर नहीं करता है-कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को एक साथ जोड़ने में विफलता को आदेश II आर में घोषित परिणामों के साथ देखा जाएगा।2 - सी. पी. सी. वादी को कार्रवाई के कारणों में शामिल होने की अनुमति देता है लेकिन यह वादी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है।

ग

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-विभाजन-संपत्ति को आंशिक रूप से विभाजित किए जाने पर कानून के दृष्टिकोण से संतुष्ट होना-सिद्धांत-आंशिक विभाजन एक निरपेक्ष नहीं है-यह अपवादों को स्वीकार करता है।

डी.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आवश्यक पक्ष-आवश्यक पक्षों का शामिल न होना घातक है।

ई.

कब्जा-प्रतिकूल कब्जा-निष्कासन-एक सह-मालिक का कब्जा, चाहे वह कितना भी लंबा हो, अपने आप में निष्कासन का गठन करेगा-सह-मालिक के मामले में, यह माना जाता है कि उसके पास सह-मालिकों के पूरे निकाय की ओर से संपत्ति है-यहां तक कि किराए और मुनाफे की गैर-भागीदारी को भी हटाने की आवश्यकता नहीं है-प्रतिकूल कब्जे के तत्वों का प्रमाण निष्कासन की याचिका में भी अनिवार्य है-निष्कासन के मामले में अतिरिक्त आवश्यकता है कि प्रतिकूल कब्जे के तत्वों को सह-मालिक को ज्ञात किया जाना चाहिए-यह स्पष्ट रूप से इस कारण से है कि सह-मालिक के कब्जे को अन्य सह-मालिकों के कब्जे के रूप में माना जाता है-बहुत सार

च

जी.

एच.

569

क.

विभाजन-पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति के लिए मुकदमा करने का अधिकार-पक्षकारों को स्व-अर्जित संपत्तियों में कोई जन्म अधिकार नहीं है और वे इस तरह के अधिकार के आधार पर मुकदमा नहीं ला सकते हैं-पैतृक संपत्ति/संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए मुकदमा जन्म अधिकार पर आधारित होगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-सह-भागीदारों/सह-भागीदारों के कब्जे में नहीं होने वाली संपत्तियों को हटाए जाने के परिणामस्वरूप उन संपत्तियों के विभाजन के लिए मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता है जो उनके कब्जे में हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

ग

अवधारित **1.**दलों के दादा**-**दादी एक 'सांसद' थे।उनके दो बेटे थे।इसे लेकर कोई विवाद नहीं है।शिकायत में**,** यह सच है कि वादी ने कहा था कि 'सांसद' का एक और बेटा था जो एक कृषक बना रहा।यह वादी का आगे का अनुरोध है कि 'सांसद' के पास थोड़ी सी भूमि संपत्ति थी जो उनकी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त थी।उन्होंने भूमि संपत्ति दूसरे बेटे के लिए छोड़ दी जो एक कृषक बना रहा।यह आगे का मामला है और जो विवाद के लिए खुला नहीं है कि 'आर' को शिक्षित किया गया था और उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और अभ्यास करना शुरू कर दिया और बाद में 'आर' एक लोक अभियोजक बन गए और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया।वह एक सफल राजनेता बन गए और विभिन्न विभागों को संभालने वाले कैबिनेट मंत्री बन गए।वास्तव में ये तथ्य विवादित नहीं हैं।अपीलार्थी की शिकायत के पहले शीर्ष के तहत विचार किया जाने वाला एकमात्र बिंदु उस संपत्ति को शामिल न करने के बारे में है जिसका शिकायत में एक अस्पष्ट संदर्भ है**,** अर्थात्**,** 'सांसद' के पास थोड़ी भूमि संपत्ति थी और इसे दूसरे बेटे पर छोड़ दिया गया था।अपीलार्थी वादी**,** अर्थात् पीडब्लू**-3,** के लिए गवाहों में से एक द्वारा दिए गए बयान के आधार पर जानकारी देगा।न्यायालय का विचार है कि न्याय का हित अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार करने में निहित है।अपीलार्थी पैतृक संपत्ति के माध्यम से उपलब्ध संपत्ति की सटीक सीमा या पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित करने में सक्षम नहीं है।संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज होने का दावा करने और उन्हें पेश करने में कोई कठिनाई नहीं होने की बात स्वीकार करने के बावजूद**,** वह उन्हें पेश नहीं करता है।वह सीमाएं भी नहीं दे पाते हैं।यह स्पष्ट है कि वह उक्त संपत्तियों के कब्जे में होने का दावा नहीं करता है**,** भले ही वह इस आधार पर सह**-**मालिक हो कि यह पैतृक संपत्ति है। उनके साक्ष्य से पता चलता है कि वास्तव में और जमीन पर ये ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

571

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस।

यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्तियां वास्तव में वर्तमान मुकदमे के पक्षों के लिए उन पर दावा करने के लिए उपलब्ध हैं।सह**-**भागीदारों/सह**-**भागीदारों के कब्जे में नहीं होने वाली संपत्तियों को हटा दिए जाने के परिणामस्वरूप उन संपत्तियों के विभाजन के लिए मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता है जो उनके कब्जे में हैं।**[**पारस **7** और **11] [578-**डी**-**जी**; 580-**ई**-**जी**]2.**इस मामले में कार्रवाई के कारण पर**,** अपीलार्थी के चाचा या उसके उत्तराधिकारियों को ब्याज में लागू न करने के खिलाफ शिकायत करने का कोई वारंट नहीं है।हम यह भी बता सकते हैं कि आदेश **II** नियम **3** किसी वादी को एक ही मुकदमे में कार्रवाई के दो या अधिक कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता है।कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को एक साथ जोड़ने में विफलता को आदेश **II** नियम **2** में घोषित परिणामों के साथ देखा जाएगा।आदेश **II** नियम **3** वादी को कार्रवाई के विभिन्न कारणों को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक अलग मामला है कि यदि कार्रवाई के कारणों में कोई गड़बड़ी है**,** तो अदालत की शक्ति के साथ**-**साथ पक्षों के आपत्ति करने के अधिकार से भी कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए जो अच्छी तरह से तय किया गया है।न्यायालय का इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि आवश्यक पक्षों का शामिल न होना घातक है**,** लेकिन इस मामले के तथ्यों में**,** वादी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण और संपत्तियों की अनुसूची के आधार पर**,** न्यायालय यह नहीं सोचेगा कि अपीलार्थी के चाचा या उसके

कानूनी प्रतिनिधियों का गैर-याचिकाकर्ता वादी द्वारा दायर मुकदमे को खतरे में डाल देगा।[पारस **16** और **18] [582-**एफ-एच**; 583-**सी-डी**]**

ग

डी.

ई.

3.एक सह-मालिक का कब्जा**,** चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो**,** शायद ही अपने आप में निष्कासन का गठन करेगा।सह-मालिक के मामले में**,** यह माना जाता है कि सह-मालिकों के पूरे निकाय की ओर से उसके पास संपत्ति है।यहां तक कि किराए और मुनाफे की गैर-भागीदारी भी अपने आप में निष्कासन के बराबर नहीं है।प्रतिकूल कब्जे के तत्वों का प्रमाण निस्संदेह निष्कासन के अनुरोध में भी अपरिहार्य है।हालांकि**,** निष्कासन के मामले में अतिरिक्त आवश्यकता है कि प्रतिकूल कब्जे के तत्वों को सह-मालिक को बताया जाना चाहिए।जाहिरा तौर पर इसका कारण यह है कि सह-मालिक के कब्जे को अन्य सह-मालिकों के कब्जे के रूप में माना जाता है।हालांकि यह सच हो सकता है कि वास्तव में सह-मालिक को संपत्ति से बाहर निकालना आवश्यक नहीं हो सकता है जैसा कि मोहम्मद में देखा गया है।ज़ैनुलाबुद्दीन **(**मृतक के बाद से**)** एलआरएस द्वारा।**v.** सैयद अहमद मोहिदीन और अन्य**,** मात्र

च

जी.

एच.

क.

सह-मालिक के कब्जे में बने रहना निष्कासन की याचिका स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।सह-मालिक का अधिकार भी वैध शीर्षक के लिए संदर्भित होगा।अपीलार्थी का**,** यहां तक कि विचाराधीन भूमि पर इमारत के भूतल पर भी कब्जा**,** पूरी तरह से सह-मालिक के रूप में उसके अधिकार के अनुरूप था।**[**पैरा **24] [587-**बी-ई**]**

4. मामलों की निष्पक्षता पर आते हुए**,** अपीलार्थी की शिकायत यह है कि अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है और उसकी आयु लगभग **80** वर्ष है और जबकि अन्य भाई-बहनों की अपनी संपत्ति है और केवल अपीलार्थी ही सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और वह सड़कों पर होगा।न्यायालय को ध्यान देना चाहिए कि अपील केवल प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ रखी जाती है जिसके द्वारा शेयर घोषित किए गए हैं।इसलिए**,** न्यायालय को हमारे लिए संपत्तियों के आवंटन के बारे में प्रश्न में जाने का कोई कारण नहीं दिखता है**,** जो अंतिम डिक्री कार्यवाही में जाने वाला मामला है।जहाँ तक संपत्तियों का वास्तविक विभाजन का संबंध है**,** यह अपीलार्थी पर है कि वह इस संबंध में ऐसी दलीलें उठाए जो इस संबंध में उपलब्ध हैं।इसलिए**,** न्यायालय अपीलों में कोई योग्यता नहीं देखता है।याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी।**[**पारस **30** और **31] [591-**ई-जी**]**

ग

डी.

मोहम्मद.ज़ैनुलाबुद्दीन (मृतक होने के बाद से) एल. आर. एस. बनाम.सैयद अहमद मोहिदीन और अन्य (1990) 1 एस. सी. सी. 345:[1989]

2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 519-**निर्भर।

ई.

ईश्वर भाई सी**.** पटेल अली बचू भाई पटेल बनाम हरिहर बेहरा और एक अन्य ए**.** आई**.** आर**. 1999** एस**.** सी**. 1341: [1999] 1** एससीआर **1097;** पी**.** लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल**.** लक्ष्मी

रेड्डी एयर 1957 एससी 314:[1957] एस. सी. आर. 195;

एल. आर. एस. बनाम द्वारा मोहम्मद अली (मृत)जगदीश कालिता और

च

अन्य (2004) 1 एस. सी. सी. 271:[2003] 4 पूरक।एस. सी. आर. 325-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[1999] 1 एससीआर **1097**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

जी.

[1957] एससीआर **195**

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

[2003] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 325** पैरा **23 [1989] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 519** पर निर्भर

पैरा **24**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2013 ए की सिविल अपील Nos.2652-2654

एच.

573

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस।

2005 के आर. एफ. ए. Nos.1296,1503 और 1369 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।सलीम ए. इनामदार, रबीन मजूमदार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।एस. एन. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. पी. चतुर्वेदी, तरुण कुमार ठाकुर, सुश्री पार्वती भट, सुश्री अनुराधा मुतातकर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के**.** एम**.** जोसेफ**,** न्याय।

1. बैंगलोर में अतिरिक्त शहर सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में 2003 के ओ. एस. No.7944 में पहला प्रतिवादी हमारे सामने अपीलार्थी है।उक्त मुकदमा उसकी बहन ने पहले वादी के रूप में और उसकी साली ने दूसरे वादी के रूप में दायर किया था।जिन राहतों की मांग की गई है, वे इस प्रकार हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"(1)(क) विभाजन और प्रत्येक के 1/5 वें हिस्से के अलग-अलग कब्जे के लिए, सूट अनुसूची आइटम में 1 से 3 संपत्तियां और प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा, सूट अनुसूची संपत्तियों की वस्तुओं 4 और 5 की बिक्री आय में, उनकी बिक्री के बाद।

डी.

(ख) प्रथम प्रतिवादी को मद सं. से उसके द्वारा प्राप्त किराए का लेखा देने का निर्देश। 1983 से मुकदमे की तारीख तक वाद अनुसूची संपत्तियों के 1 और 3 और प्रत्येक वादी के 1/5 वें हिस्से के विभाजन के लिए, उक्त किराए में।

ई.

(ग) वाद के लंबित रहने के दौरान वाद मदें 1 और 3 से प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किराए की जांच के लिए और प्रत्येक वादी के 1/5 वें हिस्से के विभाजन के लिए, और

(घ) प्रारंभिक डिक्री की तारीख से प्रत्येक वादी के 1/5 वें हिस्से के वितरण की तारीख तक अपने लाभ के लिए, और

च

(ङ) ऐसी अन्य राहत या राहत के लिए जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वादी को देने के लिए उचित समझता है।

(2) प्रथम प्रतिवादी को वस्तु संख्या 1 के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने वाले शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए। वाद अनुसूची संपत्ति का 3 और दूसरे वादी द्वारा वस्तु संख्या 3 के परिसर में कार खड़ी करना।"

जी.

2. ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से मुकदमे का फैसला सुनाया।इसने दूसरे वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की।

एच.

क.

आदेश

"मुकदमा आंशिक रूप से तय किया जाता है।विभाजन के लिए वादी का दावा और उनके कथित 1/5 वें हिस्से के अलग-अलग कब्जे का दावा, जैसा कि पारस (बी) से (डी) में प्रार्थना की गई है, खारिज कर दिया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दावा की गई राहत की अनुमति नहीं है।

निषेधाज्ञा की राहत के लिए वादी संख्या 2 का दावा निम्नलिखित शर्तों में दिया गया हैः

ग

प्रतिवादी सं. 1, उसके आदमियों, एजेंटों आदि को वादी सं. द्वारा वाद अनुसूची की मद सं. 3 की पहली मंजिल के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। 2 और कानून के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति में विभाजन होने तक कार को वस्तु संख्या 3 के परिसर में पार्क करने का उसका अधिकार।

डी.

मामले की परिस्थितियों में, पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

उनके द्वारा लिखित निर्णय लेखक को निर्देशित किया गया, उसे सही किया गया और फिर इस 9 जुलाई, 2005 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

ई.

(आई. एस. एंटिन)

XXII एडिशनल।सिटी सिविल जज,

बैंगलोर "

च

3. उपरोक्त निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, तीन अलग-अलग अपीलें दायर की गई हैं।आर. एफ. ए. No.1503/2005 अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था।आर. एफ. ए. No.1296/2005 वादी द्वारा दायर किया गया था जबकि आर. एफ. ए. No.1369/2005 मुकदमे में दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया था।विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने वादी और दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और पहले प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से मुकदमे का फैसला सुनाया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“33. तदनुसार, XXII अतिरिक्त द्वारा पारित 08.07.2005 दिनांकित निर्णय।मुकदमा अनुसूची संपत्तियों के विभाजन के संबंध में ओ. एस. No.7944/2003 में सिटी सिविल जज, बैंगलोर को अलग कर दिया गया है।द ए.

एच.

575

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

जहाँ तक वाद अनुसूची संपत्तियों की मद संख्या 1 से 4 के विभाजन की बात है, अपीलों की अनुमति है।अभियोग अनुसूची संपत्ति की मद संख्या 5 के विभाजन के लिए मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

34. वादी Nos.1 और 2 और प्रतिवादी Nos.1 से 3 जो मृतक आर. एम. पाटिल के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, अपने जीवनकाल के दौरान R.M.Patil द्वारा अधिग्रहित वाद अनुसूची संपत्तियों के मद Nos.1 से 4 में से प्रत्येक के पांचवें हिस्से के हकदार हैं।जहाँ तक मद संख्या 5 अर्थात स्वर्गीय आर. एम. पाटिल द्वारा उनके जीवनकाल के दौरान खरीदी गई और रखरखाव की गई पुस्तकालय पुस्तकों का संबंध है, वादी ने शिकायत में कहा है कि पुस्तकालय की पुस्तकों का मूल्य लगभग 1 लाख रुपये है और इसे लगभग 30 साल पहले खरीदा गया था, लेकिन पुस्तकालय/कानून की पुस्तकों के कुल मूल्य को दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए वादी किसी भी तरह से पुस्तकालय की पुस्तकों से संबंधित नहीं हैं।इसलिए वस्तु संख्या 5 को मूल्यहीन माना जाता है।चूँकि पहला प्रतिवादी अपनी मृत्यु यानी 1975 तक अपने पिता के अधीन कनिष्ठ के रूप में काम कर रहा था और अपना कानूनी पेशा जारी रखे हुए है, इसलिए वह पुस्तकालय की पुस्तकों को अपने पास रखने का हकदार है।

ग

डी.

तदनुसार डिक्री बनाएँ।सभी पक्ष अपना खर्च स्वयं वहां करेंगे। "

4. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सलीम ए इनामदार को सुना और हमने वादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. एन. भट, दूसरे प्रतिवादी और मृतक तीसरे प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को भी सुना।

ई.

5. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील हमारे सामने निम्नलिखित प्रस्तुतियों को संबोधित करेंगेः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

वह प्रस्तुत करेगा कि यह एक ऐसा मामला है जहां मुकदमा इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि आवश्यक पक्षों का गैर-प्रतिवादी था।यह इस कारण से भी उतना ही बुरा है कि वादी ने उन सभी संपत्तियों को निर्धारित नहीं किया है जिन्हें विभाजन के उद्देश्य से शामिल किया जाना चाहिए था।वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि शिकायत अनुसूची संपत्तियों को वास्तव में संयुक्त परिवार निधि से खरीदा गया था।ये तीनों प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित तथ्यों के साथ अपनी नींव पाती हैं।यह बताया गया है कि श्री मारिगौड़ा पाटिल के दो बेटे थे, जिनके नाम श्री आर. एम. पाटिल थे।

च

जी.

पाटिल और श्री निंगना गौड़ा पाटिल।श्री आर. एम. पाटिल के तीन थे।

दो बेटे और दो बेटियां।पहली वादी बेटियों में से एक है।तीसरा प्रतिवादी भी ऐसा ही है।दूसरा वादी श्री आर. एम. पाटिल की बहू है जिसकी शादी उनके बेटे स्वर्गीय श्री विजय आर. पाटिल से हुई है।

एच.

पाटिल।पहला प्रतिवादी दूसरा बेटा है।दूसरा प्रतिवादी भी ऐसा ही है।संयुक्त परिवार से संबंधित संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ थीं जिनमें अपीलार्थी श्री मारिगौड़ा पाटिल के दादा और उनके दो बेटे शामिल थे।उन संपत्तियों से पर्याप्त आय हुई और यह उसी का उपयोग कर रही है जिसका उपयोग शिकायत अनुसूची संपत्तियों को खरीदा गया था।इसके अलावा, उन संपत्तियों को वाद अनुसूची में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए था और पूरी संपत्तियों को अदालत को एक डिक्री बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जो कानून में वैध है।अनिवार्य रूप से अपरिहार्य परिणाम यह है कि अपीलार्थी के पिता (श्री आर. एम. पाटिल) के भाई के गैर-याचिकाकर्ता के लिए मुकदमा विफल हो जाएगा, जो अन्य सह-मालिक/सह-भागीदार थे, जो उनकी अनुपस्थिति में पार्टी में विशिष्ट हैं।इसके बाद, विद्वान वकील यह बताएगा कि किसी भी तरह से अपीलार्थी याचिका अनुसूची संपत्ति मद संख्या 3 का हकदार है।वह इसे एक घर बताता है।वह तर्क देगा कि वह घर के अनन्य कब्जे में है।वह जून, 1991 में जारी सूचना के रूप में साक्ष्य पर भरोसा करता है और प्रस्तुत करता है कि यह निर्णायक रूप से साबित करता है कि अपीलार्थी ने मद संख्या 3 के संबंध में किसी भी दर पर निष्कासन द्वारा अधिकार प्राप्त कर लिया है।उक्त घर पर उनका अनन्य अधिकार रहा है।उसके पास कोई दूसरा घर नहीं है।अवैध होने के अलावा अपीलार्थी को सड़क पर फेंकना अनुचित है।वह बताएगा कि अन्य सभी भाई-बहनों के अपने घर हैं।इसके बाद, वह बताएगा कि अपीलार्थी ने अपने लिखित बयान में अनुसूची में कुछ संपत्तियों को शामिल किया है, जो परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं, जिनके बारे में उसने दावा किया था कि उन्हें संयुक्त परिवार के धन से खरीदा गया था।यद्यपि लिखित कथन में उन संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जो अपीलार्थी की बहनों के पतियों के नाम पर थीं, लेकिन वह हमारे समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर संपत्तियों से संबंधित मद संख्या 2 और 3 के संबंध में दावा करता है।वह प्रस्तुत करेंगे कि निचली अदालत ने सही पाया है कि इन संपत्तियों को सह-पक्ष की संपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए।यह उस तर्क का हिस्सा था जिसने न्यायालय को विभाजन की राहत से संबंधित मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रेरित किया।वह हमें उक्त निष्कर्ष को पलटने पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष पर ले गए और वे शिकायत करेंगे कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के संदर्भ में निष्कर्ष असमर्थनीय हैं।वह इंगित करेंगे कि पैतृक संपत्ति की सीमा के बारे में सबूत थे जो ट्रायल कोर्ट द्वारा नोट किए गए थे, लेकिन ए द्वारा दायर अपीलों में इसे कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

577

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

उत्तरदाताओं।वह अंत में यह इंगित करते हुए निष्कर्ष निकालेंगे कि कानून और निष्पक्षता दोनों में यह न्यायालय एक आदेश पारित कर सकता है जो अपीलार्थी को न्याय देता है और किसी भी दर पर संपत्तियों का न्यायसंगत आवंटन करता है जिसके लिए यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पर्याप्त रूप से सुसज्जित है।

6. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. एन. भट तर्क देंगे कि जहां तक कथित संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों का संबंध है और जो अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, वर्तमान मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण अपीलार्थी के पिता श्री आर. एम. पाटिल की मृत्यु पर उत्तराधिकार का खुलासा करना है।दूसरे शब्दों में यह मुकदमा केवल श्री आर. एम. पाटिल की अलग स्व-अर्जित संपत्तियों पर अधिकार का दावा करने और स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।वह हमें दलीलों और सबूतों के माध्यम से यह तर्क देने के लिए भी ले जाएगा कि शिकायत में कोई आधार नहीं है कि संयुक्त परिवार की संपत्तियों को बाहर रखा गया था।इसलिए, वह तर्क देता है कि उस आधार पर अपीलार्थी द्वारा मुकदमे में निर्दिष्ट दूसरी शाखा को भी शामिल करने का कोई अवसर नहीं है।उन्होंने तर्क दिया कि केवल यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या वादी अनुसूची की संपत्तियां श्री आर. एम. पाटिल की स्व-अधिग्रहित संपत्तियां हैं।जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है, अभिलेख पर अभिवचन और साक्ष्य स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पर पहुंचने और विवादित निर्णय द्वारा दी गई राहत की पुष्टि करते हैं।निष्कासन के संबंध में, वह सबसे पहले यह इंगित करेगा कि पहले अपीलार्थी का अभिवचन स्वयं आंशिक निष्कासन में से एक है, जो कानून में उस शीर्षक को समाप्त करने में असमर्थ है जिसे निष्कासन का सिद्धांत अनुमति देता है और प्राप्त करना चाहता है।वह आगे तर्क देंगे कि वास्तव में विचाराधीन इमारत में दो मंजिलें हैं।अपीलार्थी के पास केवल भूतल है।वह स्वयं विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष का उपयोग करता है कि दूसरा वादी प्रथम तल के कब्जे में था और वह हमारा ध्यान स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की ओर आकर्षित करता है जो प्रथम तल के संबंध में दूसरे वादी के पक्ष में निषेधात्मक निषेधाज्ञा में से एक है।वह आगे तर्क देता है कि अपीलार्थी का अपने लिखित बयान में ही अनुरोध था कि उसे याचिका अनुसूची संपत्तियों में एक चौथाई हिस्से का हकदार घोषित किया जाए, जिसमें मद संख्या 3 शामिल है, जिसका अर्थ है कि वह पहले वादी को छोड़कर सह-मालिकों के अधिकार को स्वीकार कर रहा है, जो कानून में अस्वीकार्य है।अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के इस तर्क के बारे में कि दूसरी शाखा को लागू न करने से लोक हित प्रभावित हो सकता है, वह प्रस्तुत करेगा कि यह एक सैद्धांतिक प्रस्ताव है और इस मामले के तथ्यों में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है।जिन संपत्तियों का कथित रूप से अस्तित्व है, वे साक्ष्य में स्थापित नहीं की गई हैं और

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

हो सकता है कि इस शिकायत को आवाज़ देना अपीलार्थी के मुँह में न हो।जहां तक मद संख्या 2 और 3 का संबंध है, जो दूसरे प्रतिवादी के नाम पर है, जिसके बारे में अपीलार्थी ने दावा किया है कि उसे भी विभाजित किया जाना चाहिए, वह इंगित करेगा कि अपीलार्थी के पक्ष में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से पलट दिया गया है, भले ही निष्कर्षों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता था।वे इंगित करते हैं कि दूसरा प्रतिवादी वास्तव में नियोजित था और उसके पास पर्याप्त धन था और विचारण न्यायालय मुख्य रूप से प्रदर्शनी डी-75 द्वारा निर्देशित था जो इसकी तिथि (17.08.1982) और इसमें शामिल राशि Rs.11,330/- को ध्यान में रखते हुए और जिन परिस्थितियों के कारण यह हुआ, वे उसे उस मूल्य से लूटने के लिए पर्याप्त होंगे जो अन्यथा विचारण न्यायालय द्वारा उससे संलग्न किया गया था।

ग

अंतरण

1) प्रामाणिक संपत्तियों और गैर**-**संयुक्त संपत्तियों के गैर**-**समावेशन के खाते पर एक साथ मुकदमा विफल होना चाहिए**?**

7. हम पहले से ही पार्टियों की वंशावली को उस तरीके से देख चुके हैं, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है।निस्संदेह, दलों के पितामह श्री मारीगौड़ा पाटिल थे।उनके दो बेटे थे।इसे लेकर कोई विवाद नहीं है।वाद-पत्र में, यह सच है कि वादी ने, इसमें कोई संदेह नहीं है, कहा है कि श्री मारिगौड़ा पाटिल का एक और बेटा था जो एक कृषक बना रहा।यह वादी का आगे का अनुरोध है कि श्री मारिगौड़ा पाटिल के पास थोड़ी सी भूमि संपत्ति थी जो उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त थी।उन्होंने जमीन की संपत्ति दूसरे बेटे के लिए छोड़ दी जो एक कृषक बना रहा।यह आगे का मामला है और जो विवाद के लिए खुला नहीं है कि श्री आर. एम. पाटिल शिक्षित हुए और उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और वकालत शुरू की और बाद में श्री आर. एम. पाटिल एक लोक अभियोजक बने और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में प्रवेश किया।वह एक सफल राजनेता बन गए और विभिन्न विभागों को संभालने वाले कैबिनेट मंत्री बन गए।वास्तव में ये तथ्य विवादित नहीं हैं।अपीलार्थी की शिकायत के पहले शीर्ष के तहत विचार करने के लिए एकमात्र बिंदु उस संपत्ति को शामिल न करने के बारे में है जिसका शिकायत में एक अस्पष्ट संदर्भ है, अर्थात्, श्री मारीगौड़ा पाटिल के पास थोड़ी भूमि संपत्ति थी और इसे दूसरे बेटे पर छोड़ दिया गया था।अपीलार्थी वादी, अर्थात् पीडब्लू-3, के लिए गवाहों में से एक द्वारा दिए गए बयान के आधार पर जानकारी देगा।उन्होंने वास्तव में इस प्रकार कहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

च

जी.

“4. आर. एम. पाटिल द्वारा अपने बड़े भाई को दी गई भूमि की सीमा और सर्वेक्षण संख्या भी मुझे नहीं पता।उपरोक्त भूमि काली मिट्टी है और वे कपास, ज्वार और गेहूं उगाते थे।

एच.

579

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

मुझे नहीं पता कि उक्त कृषि संपत्ति से उन्हें कितनी आय हो रही थी।आर. एम. पाटिल ने मुझे अपने भाई को दी गई जमीन के बारे में बताया।मैं धारवाड़ में रहने के कारण अक्सर आर. एम. पाटिल से मिलने जाता था।उनके बैंगलोर में बसने के बाद भी मैं

अक्सर उनके घर जाता था।जब वे बैंगलोर में थे तो मैं उनसे लगभग 20 बार मिलने गया था।मैंने R.M.Patil और उसके भाई के बीच विभाजन का विलेख दर्ज होते नहीं देखा है।"

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में कुछ अधिक विस्तार से यह कहते हुए विस्तार किया है कि इसमें शामिल संपत्ति, जो संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, लगभग 46 एकड़ कृषि भूमि थी।

ग

9. यह विवाद में नहीं है कि जिस भूमि का उल्लेख किया गया है वह कृषि भूमि है।हालाँकि, यह ध्यान देना अत्यधिक प्रासंगिक है कि अपीलार्थी ने इस संबंध में क्या बयान दिया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“5. 33 साल से मैं एक वकील के रूप में काम कर रहा हूँ।मेरे वकील ने मेरे निर्देश पर लिखित बयान तैयार किया, यह सच है कि मेरे लिखित बयान में दावा किया गया है कि मैं परिवार का कार्था हूं और परिवार के कार्था के रूप में वादी अनुसूची की संपत्ति की देखभाल कर रहा हूं।यह सच है कि मेरे पिता के जीवनकाल के दौरान, मेरे पिता अभियोग अनुसूची संपत्ति की देखभाल कर रहे थे।यह सच है कि मैंने अपने शपथ पत्र के पैरा-2 में निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।मेरे पास अपने शपथ पत्र में उल्लिखित संपत्ति से संबंधित दस्तावेज हैं।मुझे निंगनगौड़ा पाटिल के नाम पर खड़ी उन भूमि के आर. आर. उद्धरण, खाता उद्धरण मिले हैं।न्यायालय के समक्ष उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। 12 एस. आई. हैं। सं. उक्त स्य का कुल विस्तार। सं. 44 एकड़ है।मैं उपरोक्त संपत्ति की सीमाएँ नहीं दे सकता।यह सच है कि मैंने वाद अनुसूची संपत्तियों में एक चौथाई हिस्से का दावा किया है।मैंने अपने हलफनामे के साक्ष्य में उल्लिखित संपत्तियों में कोई हिस्सेदारी नहीं मांगी है।"

डी.

ई.

च

(जोर दिया गया) 10.यह वादी द्वारा निर्धारित संपत्ति के अलावा संपत्ति के अस्तित्व के समर्थन में अभिवचन और साक्ष्य की स्थिति है और जिसके लिए विभाजन की मांग की गई है।यह सच है कि संपत्ति को आंशिक रूप से विभाजित किए जाने पर कानून नापसंद करता है।यह सिद्धांत कि आंशिक विभाजन नहीं हो सकता है, निरपेक्ष नहीं है।यह अपवादों को स्वीकार करता है। मेनी के 'हिंदू कानून और उपयोग पर ग्रंथ' के 17 वें संस्करण में, पैराग्राफ 487 इस प्रकार हैः

जी.

एच.

“487. विभाजन मुकदमे में सभी संपत्तियां शामिल होनी चाहिए-विभाजन के लिए प्रत्येक मुकदमे में आम तौर पर सभी संयुक्त संपत्तियां शामिल होनी चाहिए।लेकिन यह एक अस्थिर नियम नहीं है जो किसी विशेष मामले की परिस्थितियों या न्याय के हितों को स्वीकार करता है।हालाँकि, ऐसा मुकदमा संपत्ति के विभाजन तक ही सीमित हो सकता है जो उस समय वास्तविक विभाजन के लिए उपलब्ध है न कि केवल स्थिति के विभाजन के लिए।आम तौर पर आंशिक विभाजन के लिए मुकदमा नहीं होता है। लेकिन, आंशिक विभाजन के लिए एक मुकदमा तब होगा जब छोड़ा गया हिस्सा सह-भागीदारों के कब्जे में नहीं है और इसके परिणामस्वरूप विभाजन के लिए वास्तव में उपलब्ध नहीं माना जा सकता है, उदाहरण के लिए, जहां पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा किसी बंधक या पट्टेदार के कब्जे में है, या एक निष्पक्ष जमींदारी है, या परिवार के अजनबियों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित है, जिनकी परिवार विभाजन में कोई रुचि नहीं है।इसी तरह, मुकदमे द्वारा आंशिक विभाजन की अनुमति है जहां

संपत्ति के विभिन्न हिस्से विभिन्न क्षेत्राधिकारों में हैं, या ब्रिटिश भारत से बाहर हैं।जब संपत्ति की किसी वस्तु को मुकदमे के सभी पक्षों द्वारा उनकी संयुक्त संपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है और उनमें से कुछ द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यह किसी बाहरी व्यक्ति की है, तो ऐसी वस्तु को छोड़कर संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा आंशिक विभाजन के खिलाफ किसी भी नियम के लिए कानूनी रूप से अक्षम नहीं हो जाता है।"

ग

डी.

11. इस मामले के तथ्यों में अभिवचनों और साक्ष्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि न्याय का हित अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार करने में निहित है।अपीलार्थी पैतृक संपत्ति के माध्यम से उपलब्ध संपत्ति की सटीक सीमा या पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित करने में सक्षम नहीं है।संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज होने का दावा करने और उन्हें पेश करने में कोई कठिनाई नहीं होने की बात स्वीकार करने के बावजूद, वह उन्हें पेश नहीं करता है।वह सीमाएं भी नहीं दे पाते हैं।यह स्पष्ट है कि वह उक्त संपत्तियों के कब्जे में होने का दावा नहीं करता है, भले ही वह इस आधार पर सह-मालिक हो कि यह पैतृक संपत्ति है।उनके साक्ष्य से पता चलता है कि वास्तव में और आधार पर इन संपत्तियों को वर्तमान मुकदमे के पक्षों के लिए उन पर दावा करने के लिए वास्तव में उपलब्ध नहीं कहा जा सकता है।सह-भागीदारों/सह-भागीदारों के कब्जे में नहीं होने वाली संपत्तियों को हटा दिए जाने के परिणामस्वरूप उन संपत्तियों के विभाजन के लिए मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता है जो उनके कब्जे में हैं।

ई.

च

जी.

12. वादी द्वारा स्थापित किया गया और अपीलार्थी द्वारा जिस मामले पर विचार करने की मांग की गई है, वह यह है कि अपीलार्थी के दादा के दो बेटे थे, जिसमें उनके पिता भी शामिल हैं और चूंकि संपत्ति की यह सीमा थी जो उनके द्वारा बोली जाती है और चूंकि वह शामिल नहीं है, इसलिए यह 'क' होगा।

एच.

581

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

जनहित के विपरीत संयुक्त परिवार में दूसरे हिस्सेदार, अर्थात् अपीलार्थी के पिता के भाई को मुकदमे में पेश होने और यह स्थापित करने के अवसर से वंचित करना कि वाद अनुसूची की संपत्तियों का अधिग्रहण संयुक्त परिवार निधि की मदद से किया गया था जिसमें उनका भी हिस्सा था।हमें ध्यान देना चाहिए कि जबकि यह सच है, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके द्वारा यह स्थापित किया जा सके कि ऐसा कोई विभाजन था जिसके द्वारा संपत्ति पहले अपीलार्थी के पिता के भाई को आवंटित की गई थी।जाहिरा तौर पर स्थापित किया गया मामला पक्षकारों के बीच एक व्यवस्था की प्रकृति का है जिसके द्वारा अपीलार्थी के दादा ने अपने दूसरे बेटे (अपीलार्थी के चाचा) को संपत्ति आवंटित की थी।डी. डब्ल्यू. 3, जो दूसरा प्रतिवादी है, अपने पिता द्वारा त्याग की बात करता है।

ग

13. अपीलार्थी के पिता का अशिक्षित भाई है जो कृषि में था जिसे विचाराधीन संपत्ति दी गई थी और अपीलार्थी के पिता एक सफल अधिवक्ता बन गए और सफलता के साथ राजनीति में भी अपना करियर बनाया।हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि अपीलार्थी द्वारा लक्षित की गई उक्त संपत्ति ऐसी संपत्ति हो जिसमें श्री. आर. एम. पाटिल ने अपने अधिकारों को त्याग दिया है। हम पहले से चर्चा किए गए मामले के पहलू को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आगे नहीं जाना चाहेंगे।इसलिए, यह एक ऐसा

मामला प्रतीत होता है जहां अंततः न्यायालय के समक्ष, तथाकथित संयुक्त पारिवारिक संपत्ति की सीमा और पहचान दोनों को स्थापित करने के लिए सामग्री की कमी है जो वाद में शामिल नहीं है।दिलचस्प बात यह है कि दूसरी शाखा इस तथ्य के बावजूद कोई शिकायत के साथ आगे नहीं आई है कि यह वर्ष 2003 में शुरू हुई वर्ष की मुकदमेबाजी है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है और हमें इस संबंध में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।यदि यह निष्कर्ष कि वाद अनुसूची की संपत्तियाँ आर. एम. पाटिल की अलग-अलग संपत्तियाँ हैं, अभेद्य है जो अपीलार्थी के चाचा या उसके उत्तराधिकारी को ब्याज में शामिल करने की आवश्यकता को निर्णायक रूप से खारिज कर देगा।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस मामले के तथ्यों में, हम नहीं सोचते कि अपीलार्थी को हमें इस आधार पर वादी पर मुकदमा न करने के लिए मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

डी.

ई.

च

14. फिर भी एक अन्य पहलू जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वह यह है कि वादी कार्रवाई के एक विशेष कारण पर मुकदमा दायर करने के लिए आगे बढ़े हैं।जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. एन. भट ने बताया कि अपीलार्थी वर्ष 1977 तक वर्तमान वाद नहीं ला सकता था, जब श्री एस. आर. एम. पाटिल जीवित थे।यही कारण है कि वर्तमान वाद के लिए कार्रवाई का कारण श्री की अलग और स्व-अर्जित संपत्तियों के लिए वादी के अधिकारों पर आधारित है। आर. एम. पाटिलपक्षकारों को उक्त संपत्तियों में कोई जन्म अधिकार नहीं है और वे कोई अधिकार नहीं ला सकते थे।

जी.

एच.

ऐसे अधिकार के आधार पर मुकदमा।इसलिए कार्रवाई का कारण उनकी मृत्यु के बाद ही उत्पन्न हुआ और निर्वसीयत उत्तराधिकार के आधार पर वादी वर्तमान मुकदमा लाए हैं।दूसरी ओर पैतृक संपत्ति/संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए मुकदमा जन्म के अधिकार पर आधारित होगा।15. इस संबंध में हम दो पहलुओं को देख सकते हैं।सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश II नियम 3 इस प्रकार हैः

"3. कार्रवाई के कारणों का संयोजक।

(1) जैसा कि अन्यथा प्रदान किया गया है, एक वादी एक ही मुकदमे में एक ही प्रतिवादी, या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई के कई कारणों को एकजुट कर सकता है; और कोई भी वादी जिसके पास कार्रवाई के कारण हैं जिसमें वे एक ही प्रतिवादी या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से रुचि रखते हैं, एक ही मुकदमे में कार्रवाई के ऐसे कारणों को एकजुट कर सकते हैं।

ग

(2) जहां कार्रवाई के कारण एकजुट हैं, मुकदमे के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता मुकदमे को लागू करने की तारीख को समग्र विषय-वस्तुओं की राशि या मूल्य पर निर्भर करेगी।"16. आदेश I नियम 3 उन व्यक्तियों के बारे में बताता है जिन्हें पक्ष बनाया जा सकता है।इन नियमों की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय ईश्वर भाई सी. पटेल उर्फ में

डी.

बाचू भाई पटेल बनाम हरिहर बेहरा और अन्य 1 को अन्य बातों के साथ-साथ

निम्नलिखित हैः“14. ये दो प्रावधान, अर्थात्, आदेश 1 नियम 3 और आदेश 2 नियम 3, यदि एक साथ पढ़े जाते हैं, तो यह संकेत मिलता है कि पक्षों के सहयोगी के प्रश्न में कार्रवाई के कारणों का सहायक भी शामिल है।सरल सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति को मुकदमे में पक्षकार बनाया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई का कारण होता है और जब कार्रवाई के कारणों को जोड़ा जाता है, तो पक्ष भी शामिल हो जाते हैं।"

ई.

च

इस मामले में कार्रवाई के कारण पर, अपीलार्थी के चाचा या उसके उत्तराधिकारियों को ब्याज में लागू न करने के खिलाफ शिकायत करने का कोई वारंट नहीं है।हम यह भी बता सकते हैं कि आदेश II नियम 3 किसी वादी को एक ही मुकदमे में कार्रवाई के दो या अधिक कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता है।कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को एक साथ जोड़ने में विफलता को आदेश II नियम 2 में घोषित परिणामों के साथ देखा जाएगा।आदेश II नियम 3 वादी को कार्रवाई के विभिन्न कारणों को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक अलग बात है कि यदि कार्रवाई के कारणों में कोई गड़बड़ी है, तो

जी.

1 एयर 1999 एससी 1341 ए

एच.

583

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

न्यायालय की शक्ति के साथ-साथ पक्षकारों के आपत्ति करने के अधिकार से भी कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए जो अच्छी तरह से तय किया गया है।

17. सिविल प्रक्रिया संहिता वास्तव में एक वादी को कार्रवाई के कारणों में शामिल होने की अनुमति देती है लेकिन यह एक वादी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करती है।कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों में शामिल नहीं होने के परिणाम एक वादी के लिए घातक हो सकते हैं और हम इस मामले में भविष्य में मुकदमेबाजी में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करने के लिए नहीं हैं।यह किसी भी तरह से अपीलार्थी के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।अतः इन सभी कारणों से हमारा विचार है कि अपीलार्थी का तर्क विफल होना चाहिए।

18. हमारा इस प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं है कि आवश्यक पक्षों का शामिल न होना घातक है, लेकिन इस मामले के तथ्यों में, वादी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण और संपत्तियों की अनुसूची पर, हम यह नहीं सोचेंगे कि अपीलार्थी के चाचा या उनके कानूनी प्रतिनिधियों का गैर-याचिकाकर्ता वादी द्वारा दायर मुकदमे को खतरे में डाल देगा।

ग

2. अन्य स्थल अनुसूची संपत्तियाँ श्री की अलग**-**अलग संपत्तियाँ हैं। आर**.** एम**.** पाटिल**?**

डी.

19. अगला सवाल यह है कि क्या अभियोग अनुसूची की संपत्तियों को श्री आर. एम. पाटिल की स्व-अर्जित और अलग संपत्तियों के रूप में पाया जाना चाहिए।इस संबंध में, हमें पहले वाद में दलीलों पर ध्यान देना चाहिए।अन्य बातों के साथ-साथ पैराग्राफ 4 में इस प्रकार कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"4. मद सं. पर सूट अनुसूची गुण।1 धारवाड़ में घर की संपत्ति, मद सं।2 धारवाड़ में स्थित एक स्थल, वस्तु संख्या 3 एक घर की संपत्ति जिसमें बैंगलोर में पैलेस ऑर्चार्ड में स्थित भूतल और पहली मंजिल शामिल है, वस्तु संख्या 4, फिएट कार और वस्तु संख्या 5 पुस्तकालय जिसकी कीमत रु।1 लाख, उनके द्वारा अधिग्रहित किए गए थे (यहाँ संक्षिप्तता के लिए "सूट अनुसूची संपत्ति" के रूप में संदर्भित)।ये स्व-अर्जित संपत्तियां हैं, जो मूल रूप से स्वर्गीय आर. एम. पाटिल पुत्र मारीगौड़ा की थीं।"

च

इस अभिवचन का उत्तर अपीलार्थी के लिखित कथन के पैराग्राफ 6 में पाया जाता है, जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

"6. यह प्रतिवादी प्रस्तुत करता है कि शिकायत के पैराग्राफ 2 से 8 में लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया जाता है।"

20. इस प्रकार, यह विशिष्ट आरोप कि वादी अनुसूची की संपत्तियां आर. एम. पाटिल की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं, न केवल अस्वीकार किया गया था, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।यदि वह पर्याप्त नहीं था तो प्रतिवादी जब

एच.

साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आया और वादी को उनके मामले में मजबूत किया कि वाद अनुसूची संपत्तियां अलग-अलग संपत्तियां थीं और उन्होंने निम्नानुसार अपदस्थ कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"6. यह सच है कि निंगनागौड़ा और उनके बच्चे मुक़दमा अनुसूची संपत्ति से संबंधित नहीं हैं।यह सच है कि सूट अनुसूची संपत्तियाँ आर. एम. पाटिल की स्व-अर्जित संपत्तियाँ हैं।सूट अनुसूची संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख R.M.Patil के नाम पर हैं।यह सच है कि अपने पिता के निधन के बाद मैंने राजस्व अधिकारियों के समक्ष एक हलफनामा देकर अपने, अपने भाइयों, अपनी मां और अपनी बहनों के नाम पर प्रविष्टियों का मौका मांगा।यह सच है कि अब मैं जिस दस्तावेज़ की मांग कर रहा हूं, वह मेरे द्वारा राजस्व अधिकारी, धारवाड़ को लिखे पत्र के पते की प्रमाणित प्रति है।उसी को Ex के रूप में चिह्नित किया गया है। पी45।यह सच है कि सूट अनुसूची आइटम नंबर 3 मेरे पिता को सी. आई. टी. बी. द्वारा आवंटित किया गया था और मेरे पिता ने उसी के लिए बिक्री मूल्य का भुगतान किया था।यह सच है कि ऋण प्राप्त करके मेरे पिता ने उपरोक्त संपत्ति में घर का निर्माण किया था।यह कहना सही नहीं है कि मेरे पिता ने उपरोक्त ऋण का भुगतान संयुक्त आय से किया था।हमने वर्ष 1975 में उक्त ऋण का भुगतान किया।

ग

डी.

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमें यह अभिनिर्धारित करने के लिए मनाने का प्रयास किया कि यह सजा कि संपत्तियाँ उसके पिता की स्व-अर्जित संपत्तियाँ थीं, संदर्भ में देखी जा सकती है और अलग-अलग बयानों को बयान के एक बड़े समूह को अभिभूत नहीं करना चाहिए जो अन्यथा मौजूद है।उनका यह बयान कि निंगेनगौड़ा और उनके बच्चे मुकदमे की संपत्ति से संबंधित नहीं हैं, अपीलार्थी के मामले के लिए घातक है कि पक्ष में उनकी अनुपस्थिति वादी के दावे के लिए घातक है।यह आगे संदेह से परे स्थापित करता है कि अगला वाक्य एक स्वीकारोक्ति है जिसे गलती या समझाने में सक्षम नहीं कहा जा सकता है।हम यह नहीं सोचेंगे कि हमें अपीलार्थी को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए।यही कारण है कि अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वाद अनुसूची संपत्तियाँ स्व-अर्जित संपत्तियाँ थीं जो श्री की थीं। आर. एम. पाटिलमान लीजिए, अपीलार्थी एक अधिवक्ता है।

ई.

च

आउटस्टर

जी.

21. अगला विवाद निष्कासन का है।पी. लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल. लक्ष्मी रेड्डी 2 में, यह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार आयोजित किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“4. अब, प्रतिकूल कब्जे की सामान्य शास्त्रीय आवश्यकता यह है कि यह एन. ई. सी. वी. एन. ई. सी. क्लैम एन. ई. सी. प्रिकारियो होना चाहिए।(सचिव को देखें

2 ए. आई. आर 1957 एस. सी. 314 ए

एच.

585

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

भारत सरकार बनाम देबेंद्र लाल खान, पी 82 पर 61 इंड ऐप 78

(ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 23 पी. 25 पर) (ए)।आवश्यक कब्जा निरंतरता, प्रचार और सीमा में पर्याप्त होना चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि यह कब्जा प्रतिद्वंद्वी के लिए प्रतिकूल है।(राधामोनी देवी बनाम खुलना के कलेक्टर, 27 इंड ऐप 136 को पी. पर देखें।140 (पीसी) (बी)।लेकिन यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक सह-उत्तराधिकारी के विपरीत दूसरे के प्रतिकूल कब्जे को स्थापित करने के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि उनमें से एक संपत्ति के एकमात्र कब्जे और लाभ का आनंद ले रहा है।कब्जा न रखने वाले सह-उत्तराधिकारी को कब्जे में सह-उत्तराधिकारी द्वारा निष्कासित किया जाना चाहिए जो अपने कब्जे को प्रतिकूल होने का दावा करता है।एक सह-उत्तराधिकारी के कब्जे को, कानूनी रूप से, सभी सह-उत्तराधिकारियों के कब्जे के रूप में माना जाता है।जब एक सह-उत्तराधिकारी को संपत्तियों के कब्जे में पाया जाता है तो यह संयुक्त स्वामित्व के आधार पर माना जाता है।संपत्तियों के कब्जे में सह-उत्तराधिकारी को संयुक्त स्वामित्व के आधार पर माना जाता है।कब्जा में सह-उत्तराधिकारी अपने कब्जे को दूसरे सह-उत्तराधिकारी के प्रतिकूल नहीं बना सकता है, जो केवल अपनी ओर से किसी गुप्त शत्रुतापूर्ण शत्रुता से दूसरे सह-उत्तराधिकारी के खिताब का अपमान करता है।(कोरिया वी. अप्पूहामी, 1912 एसी 230 (सी) देखें।यह कानून का एक स्थापित नियम है कि सह-उत्तराधिकारियों के बीच शत्रुतापूर्ण शीर्षक के खुले दावे का सबूत होना चाहिए, जिसमें उनमें से एक द्वारा दूसरे के ज्ञान के लिए अनन्य अधिकार और आनंद के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि निष्कासन का गठन किया जा सके।इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि एक द्वारा स्पष्ट मांग और दूसरे द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए।ऐसे मामले हैं जिनमें यह माना गया है कि प्रतिकूल कब्जे और निष्कासन का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब एक सह-उत्तराधिकारी शत्रुतापूर्ण शीर्षक के दावे में कुख्यात अनन्य कब्जे को लेता है और बनाए रखता है और बहुत लंबे समय तक इस तरह के कब्जे में रहता है और बहिष्कृत उत्तराधिकारी अपने खिताब को सही साबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है।चाहे मामलों की वह पंक्ति सही हो या गलत, हमें विचार करने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है।यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि एन. वरदा पिल्लई बनाम जीवरत्नम्मल, ए. आई. आर. 1919 पी. सी. 44 में प्रिवी काउंसिल पी।47 (डी) उद्धरण, जाहिरा तौर पर मंजूरी के साथ कुली बनाम देव टेलरसन, (1840) 3 पी एंड डी 539; 52 आरआर 566 (ई) से एक मार्ग जो इंगित करता है कि ऐसी स्थिति "यदि अन्य परिस्थितियाँ सहमत हैं" तो निष्कासन के अनुमान का कारण बन सकती है।(गोविंदराव बनाम राजाबाई, ए. आई. आर. 1931 पी. सी. 48 (एफ) यह भी देखें कि यह अच्छी तरह से तय किया जा सकता है कि निष्कासन का बोझ वह व्यक्ति है जो अपने प्रतिकूल कब्जे से सह-उत्तराधिकारी की वैध उपाधि को विस्थापित करने का दावा करता है।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

22. निष्कासन के संबंध में, हम इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय पर भी ध्यान दे सकते हैं।

एच.

23. में एम. मोहम्मद अली (मृत) एलआरएस द्वारा।v. जगदीश कलीता

और अन्य 3 अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“31. विद्या देवी बनाम प्रेम प्रकाश [(1995) 4 एस. सी. सी. 496] में इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहाः(एस. सी. सी पी.505, पैरा 27-28)

“27. ... यह देखा जाएगा कि ताकि सह-मालिक का अधिकार दूसरों के लिए प्रतिकूल हो, यह आवश्यक है कि निष्कासन या इसके बराबर कुछ होना चाहिए।पी. लक्ष्मी रेड्डी मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यही टिप्पणी की थी।

मामला [पी. लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल. लक्ष्मी रेड्डी, ए. आई. आर 1957 एस. सी.

314] जिसका बाद से मोहम्मद में पालन किया जाता रहा है।

ग

जैनुलाबुद्दीन बनाम सैयद अहमद मोहिदीन [(1990) 1 एससीसी

345].

28. ''निष्कासन' का अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक रूप से सह-हिस्सेदार को संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाए।हालाँकि, यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इसे प्रतिकूल कब्जे का गठन करने के लिए आवश्यक अन्य सभी अवयवों के साथ जोड़ा न जाए।मोटे तौर पर, सह-मालिक के मामले में निष्कासन की याचिका को स्थापित करने के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं। वे हैं (i) शत्रुतापूर्ण शत्रुता की घोषणा, (ii) निष्कासन का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के लंबे और निर्बाध कब्जे, और (iii) खुले तौर पर और अन्य सह-मालिक के ज्ञान के लिए अनन्य स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग।इस प्रकार, एक सह-मालिक, कानून के तहत, किसी अन्य सह-मालिक के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व का दावा कर सकता है, जो निश्चित रूप से, कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर संयुक्त कब्जे के लिए मुकदमे सहित उचित मुकदमा दायर कर सकता है।"

डी.

ई.

32. फिर भी दर्शन सिंह बनाम गुर्जर सिंह [(2002) 2 एस. सी. सी. 62] में कहा गया हैः(एस. सी. सी. पीपी. 65-66, पैरा 7)

च

“यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि किसी सह-शेयरधारक के पास पूरी संपत्ति है, तो उसके कब्जे को अन्य सह-शेयरधारकों के लिए प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है, जब तक कि अन्य सह-शेयरधारकों को बाहर नहीं किया गया हो।"

जी.

यह आगे देखा गया है किः(एस. सी. सी. पृष्ठ 66, पैरा 9) "9. हमारे विचार में, सही कानूनी स्थिति यह है कि एक सह-शेयरधारक द्वारा कई सह-शेयरधारकों की संपत्ति का कब्जा यह माना जाएगा कि वह उनकी ओर से संपत्ति का मालिक है।

3 (2004) 1 एससीसी 271 ए

एच.

587

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

अन्य सह-शेयरधारकों को जब तक कि अन्य सह-शेयरधारकों के स्वामित्व से इनकार करके स्पष्ट निष्कासन नहीं किया गया है और एक सह-शेयरधारक के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन तब तक निष्कासन के बराबर नहीं होगा जब तक कि यह स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है कि अन्य सह-शेयरधारकों के स्वामित्व से इनकार किया गया था।"

24. एक सह-मालिक का कब्जा, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो, शायद ही अपने आप में निष्कासन का गठन करेगा।सह-स्वामी के मामले में, यह माना जाता है कि सह-मालिकों के पूरे निकाय की ओर से उसके पास संपत्ति है।यहां तक कि किराए और मुनाफे की गैर-भागीदारी भी अपने आप में निष्कासन के बराबर नहीं है।प्रतिकूल कब्जे के तत्वों का प्रमाण निस्संदेह निष्कासन के अनुरोध में भी अपरिहार्य है।हालांकि, निष्कासन के मामले में अतिरिक्त आवश्यकता है कि प्रतिकूल कब्जे के तत्वों को सह-मालिक को सूचित किया जाना चाहिए।यह स्पष्ट रूप से इस कारण से है कि सह-मालिक के कब्जे को अन्य सह-मालिकों के कब्जे के रूप में माना जाता है।हालांकि यह सच हो सकता है कि वास्तव में सह-मालिक को बाहर निकालना आवश्यक नहीं हो सकता है

ग

संपत्ति जैसा कि मोहम्मद में देखा गया है।ज़ैनुलाबुद्दीन (मृतक के बाद से) एलआरएस द्वारा।v. सैयद अहमद मोहिदीन और अन्य 4, में केवल निरंतरता

डी.

एक सह-मालिक का कब्जा निष्कासन की याचिका स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।सह-मालिक का अधिकार भी वैध शीर्षक के लिए संदर्भित होगा।अपीलार्थी का, यहां तक कि विचाराधीन भूमि पर इमारत के भूतल पर भी कब्जा, पूरी तरह से सह-मालिक के रूप में उसके अधिकार के अनुरूप था।25. इस संबंध में हम सबसे पहले अपीलार्थी द्वारा की गई याचिका की प्रकृति पर ध्यान दे सकते हैं।वह इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी संख्या 1 ने 20.06.1991 दिनांकित एक पत्र लिखा जिसमें वाद अनुसूची संपत्तियों के विभाजन की मांग की गई थी।इस प्रतिवादी ने 29 जून 1991 को अस्पष्ट शब्दों में अपने दावे का खंडन करते हुए जवाब दिया।इसके बाद वादी संख्या 1 ने वर्तमान मुकदमा दायर होने तक मौन रखा।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी संख्या 1 को संयुक्त परिवार से बाहर कर दिया जाता है और उसे वर्तमान मुकदमा लाकर विभाजन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थिति होने के नाते वादी संख्या 1 संयुक्त कब्जे में नहीं है जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है।इसलिए, वादी संख्या 1 को के. सी. एफ. और एस. वी. अधिनियम, 1958 की धारा 35 (1) के तहत अदालत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।इसी तरह, वादी संख्या 2, जो संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं है, उसे भी के. सी. एफ. और एस. वी. अधिनियम, 1958 की धारा 35 (1) के तहत अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा।"

च

जी.

4 (1990) 1 एस. सी. सी. 345

26. इसलिए, अपीलार्थी ने याचिका को उत्सुकता से लिया है कि पहले वादी और अपीलार्थी के बीच पत्राचार और जिस देरी के साथ मुकदमा दायर किया गया था, उसे देखते हुए पहले वादी को विभाजन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था।इस स्थिति को लिखित कथन में प्रार्थना द्वारा और मजबूत किया गया है कि अपीलार्थी को 1/4 वां हिस्सा आवंटित किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि अपीलार्थी का उद्देश्य केवल पहले वादी को हटाने के अनुरोध द्वारा बहिष्कृत करना है।

हमें डर है कि एक याचिका जिसके द्वारा एक सह-मालिक केवल एक सह-मालिक को आंशिक रूप से बाहर करना चाहता है, हमारे लिए इसकी सराहना नहीं करता है।जैसा कि श्री एस. एन. भट द्वारा इंगित किया गया है, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील अन्य सह-मालिक पहले वादी के शीर्षक पर विवाद नहीं करते हैं।अपीलार्थी उत्सुकता से अपने आप में विशिष्ट शीर्षक स्थापित करता है क्योंकि वह 1/4 वें हिस्से का दावा कर रहा है जिससे अन्य चार भाई-बहनों की उपाधि स्वीकार की जाती है।असंगति और द्वैतवाद निष्कासन के मामले को कमजोर करता है क्योंकि सह-मालिकों के निकायों में से एक दूसरे को बाहर नहीं कर सकता है जिसका शीर्षक दूसरों द्वारा विवादित नहीं है और इसके अलावा, उनके शीर्षक को सह-मालिक द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो निष्कासन की याचिका स्थापित करता है।ऐसी परिस्थितियों में, हम यह नहीं सोचते कि याचिका भी ऐसी है जो कानूनी रूप से मान्य है।इसके अलावा जिस पर वास्तव में भरोसा किया जाता है वह एक पत्र है जो प्रथम वादी द्वारा भेजे गए पत्र का अपीलार्थी का जवाब है।प्रथम वादी द्वारा अपीलार्थी को दिनांकित 20.06.1991 का पत्र लिखा जाता है और उत्तर जो अपीलार्थी के मामले का पत्रक एंकर है, दिनांकित 20.06.1991 है।बाद वाला पत्र, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार हैः- “4. यह वास्तव में आपकी (यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो आपके पति की) कल्पना की पराकाष्ठा है कि आप अचानक यह कहने के लिए जागें कि आप संयुक्त परिवार की संपत्तियों में हिस्से के हकदार हैं।जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके नोटिस में उल्लिखित तीन संपत्तियां हमारे पिता और उनके बड़े भाई श्री एन. एम. पाटिल की एच. यू. एफ. संपत्तियों का हिस्सा थीं।आप अच्छी तरह से जानते हैं कि धारवाड़ जिले के नरगुड तालुक के वासन गांव में स्थित 44 एकड़ की एच. यू. एफ. भूमि संपत्ति के सभी अधिग्रहणों का केंद्र थी।हालांकि परिवार के सदस्यों ने देर से अपने नाम से संपत्ति अर्जित की, लेकिन हमारे दिवंगत पिता और चाचा ने हमेशा संपत्तियों को पारिवारिक संपत्ति के रूप में माना।किसी भी समय एच. यू. एफ. का दर्जा नहीं तोड़ा गया है। यहां तक कि हमारे दिवंगत पिता के जीवनकाल के दौरान भी उन्होंने कभी भी अलगाव नहीं देखा और तीनों संपत्तियों को एच. यू. एफ. संपत्तियों के हिस्से के रूप में माना।आप इस तथ्यात्मक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

5. जैसा कि आप जानते हैं, परिवार ने आपको जीवन में बसाने के लिए और विशेष रूप से आपकी शादी के लिए बड़ी राशि खर्च की है और शादी के दौरान आपको परिवार की सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार गहने और अन्य सामान उपहार में दिए हैं। फिर भी, 1972 में आपने, जैसा कि आप चाहते थे, हमारे पिता से अपने पति के लिए एक कार की मांग की, जो उस समय केवल एक मुन्सिफ थे और फिर भी अभिजात वर्ग के तरीके अपनाए थे जो वे वहन नहीं कर सकते थे और हमारे दिवंगत पिता ने खुद पर बहुत दबाव डालते हुए आपको एक फ्लैट कार उपहार में दी थी। फिर, 1977 में हमारे पिता की मृत्यु के तुरंत बाद, आपके पास विभाजन की मांग करने के लिए दिल और चेहरा था, तब भी जब परिवार अभी भी शोक में था और हमारी माँ ने आपके लालच को तृप्त करने के लिए फिर से आपकी एकमात्र बहन श्रीमती को छोड़कर आपको अपने गहने दिए। काशा, जो अब संयुक्त राज्य में खुशी-खुशी बस गई है।आपके तथाकथित हिस्से की मांग जो आपने अपने माध्यम से उठाई थी, वह इसके हकदार नहीं हैं, शांति के हित में, आपको हमारी माँ के सभी रत्न दिए गए थे।जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी भाई ने किसी भी समय इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और आप गहनों को पूर्ण और अंतिम समझौते में स्वीकार करने और आगे किसी भी दावे को न दोहराने के लिए सहमत हुए।यह अजीब बात है कि हमारे पिता की मृत्यु के 14 साल बाद भी आपने अपने तय किए गए दावे को अस्थिर करने का विकल्प नहीं चुना।7. इसलिए, आपके किसी भी विभाजन के हकदार होने का कोई सवाल ही नहीं है।आप संपत्ति में किसी भी हिस्से के हकदार नहीं हैं जैसा कि दावा किया गया है।किसी भी तरह से, हमारे पिता की मृत्यु के बाद आपके दावों की संतुष्टि के लिए आपको मां के रत्नों का उपहार देकर आपको स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है, हालांकि यह टिकाऊ नहीं है।"

ग

डी.

ई.

27. प्रतिकूल अधिकार और इसलिए निष्कासन का सार एक पार्टी में निहित है जो अपने आप में एक शत्रुतापूर्ण शीर्षक स्थापित करती है।सह-स्वामी का अधिकार आम तौर पर उसकी ओर से और सह-मालिकों के पूरे निकाय की ओर से भी होता है। निष्कासन के मामले में, सह-मालिक में वास्तव में शत्रुतापूर्ण दुश्मनी होनी चाहिए।उसे एक ऐसी उपाधि का दावा करना चाहिए जो वैध उपाधि के लिए संदर्भित नहीं है।हालाँकि अपीलार्थी के विद्वान वकील बताते हैं कि यह अधिकार 1977 से पहले शुरू हुआ था कि अपीलार्थी सत्तर के दशक की शुरुआत में अपने पिता के साथ आइटम नंबर 3 के घर में रह रहा था और वह वर्ष 1977 में अपने पिता की मृत्यु के बाद भी रहता रहा, जब वर्ष 1977 में श्री आर. एम. पाटिल की मृत्यु हो गई, 1977 में उसका अधिकार स्पष्ट रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत विरासत के हकदार सह-मालिक के रूप में वैध शीर्षक के लिए संदर्भित था।जाहिर है, उन्हें वर्ष 1977 में प्रतिकूल कब्जा या निष्कासन स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जहाँ तक उस पत्र की बात है जिसे 1991 में संबोधित किया गया था और पत्र और वाद का जवाब दिया गया था

च

जी.

एच.

उनके जवाब की तारीख से 12 साल से अधिक होने के कारण, हमारा फिर से यह विचार है कि उन्हें एक से अधिक कारणों से सफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।सबसे पहले, हम पहले ही देख चुके हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां वह केवल सह-मालिकों में से एक को हटाने की व्यवस्था स्थापित कर रहा है।दूसरा, जैसा कि यह अपीलार्थी के प्रस्तुत करने के विपरीत है, श्री एस. एन. भट, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील बताते हैं कि अपीलार्थी पूरी संपत्ति के अनन्य कब्जे में नहीं था। अपीलार्थी के कब्जे में था जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने पाया कि केवल ग्राउंड फ्लोर पर था।दूसरी वादी को पहली मंजिल के कब्जे में पाया जाता है और इसके अलावा एक डिक्री ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके पक्ष में दी जाती है।वास्तव में, यहां तक कि वर्ष 1991 में

उनके द्वारा जिस पत्र पर भरोसा किया गया था, जिसका हमने उल्लेख किया है, वह भी सह-मालिक से अलग शत्रुतापूर्ण शीर्षक के दावे को नहीं दर्शाता है।सार में, जो कहा जाना चाहिए वह यह है कि पहली वादी जो उसकी बहन है, उसे आभूषण सहित संपत्ति दी गई थी और इसलिए उसका कोई अधिकार नहीं है।वह अपने आप में संपत्ति का पूर्ण मालिक होने की घोषणा नहीं करता है।

ग

डी.

28. हम यह भी देख सकते हैं कि विचारण न्यायालय ने 'आंशिक निष्कासन' पर एक अतिरिक्त मुद्दा संख्या 2 भी तैयार किया है और अपीलार्थी के खिलाफ मुद्दे का जवाब दिया है।इसलिए, यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलार्थी के खिलाफ दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और इस अपील में, जो विशेष अनुमति द्वारा उत्पन्न की गई है, हम ऐसे निष्कर्षों को पलटने के मामले में अनुच्छेद 136 की खामियों से मुक्त नहीं हैं और हम निश्चित रूप से इस संबंध में निष्कर्षों को तथ्यों की समग्रता में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं जो ऐसा निष्कर्ष है जो इसे परेशान करने की गारंटी देता है।

ई.

2 और **3** एस**.** सी**.** वस्तुओं को छोड़कर जिन्हें लिखित विवरण में शामिल किया गया है। दूसरी रक्षा की अलग**-**अलग संपत्तियाँ क्या हैं**?**

च

29. अगला प्रश्न जो उठाया गया है वह दूसरे प्रतिवादी के नाम पर खड़ी संपत्तियों को शामिल न करने से संबंधित है जो कि अपीलार्थी के लिखित बयान की अनुसूची में मद Nos.2 और 3 है।जहाँ तक इस विवाद का संबंध है, हम फिर से नहीं सोचते कि अपीलार्थी के मामले में योग्यता है।मान लीजिए, दूसरा प्रतिवादी शिक्षित था और इंजीनियर बन गया।वह नौकरी करता था। ट्रायल कोर्ट के साथ वास्तव में जो बात भारी पड़ी है वह यह है कि एक बांड के तहत अपने दायित्वों से प्रस्थान को देखते हुए, दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था और फैसला सुनाया गया था जिसने डी-75 दिनांक 17.08.1982 के तहत Rs.11,330/- के योग में अपने दायित्व का निर्वहन किया था।हमें ध्यान देना चाहिए कि लिखित विवरण में निर्धारित वस्तु संख्या 2 को वर्ष 1976 में खरीदा गया था।द ए.

जी.

एच.

591

बी. आर. पाटिल बनाम तुलसा वाई. सावरकर और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

संपत्ति में एक भूखंड होता है और इसे वर्ष 1976 में दूसरे प्रतिवादी को कुल 9,800/- रुपये में आवंटित किया गया था।डी-75 वर्ष 1982 में है।प्रतिवादी संख्या 2 ने इस तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया है कि भारत में अपने रोजगार के आधार पर अपने संसाधनों से राशि का भुगतान किया गया है।ऐसा नहीं है कि राशि का भुगतान एकमुश्त में किया गया था।लिखित विवरण में वस्तु संख्या 3 के संबंध में, यह वर्ष 1998 में खरीदा गया फ्लैट है।यह डी-75 के बहुत बाद है जो 17.08.1982 दिनांकित है।दूसरे प्रतिवादी ने विदेश में काम करने की बात स्वीकार कर ली है।दूसरे प्रतिवादी ने वस्तु संख्या 3 को Rs.16 लाख की राशि में खरीदे जाने के बारे में बात की है।अपनी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं सोचते हैं कि अपीलार्थी निष्कर्ष को उलटने में दोष दे सकता है, हालांकि यह सच हो सकता है कि उच्च न्यायालय ने इससे अधिक विस्तृत तरीके से निपटा नहीं है। इस संबंध में, हम देख सकते हैं कि विचारण न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि श्री. आर. एम. पाटिल एक सफल वकील के रूप में कमाई कर रहे थे और वे एक सफल राजनेता भी बन गए, दूसरा प्रतिवादी एक सह-भागीदार होने के कारण, मद 2 और 3 को भी शामिल किया जाना चाहिए।यहां तक कि इस आधार पर आगे बढ़ना कि एक संयुक्त परिवार था जिसमें श्री शामिल थे। आर. एम. पाटिल और उनके बेटों, यह कानून नहीं है कि एक सह-मालिक अपनी स्वतंत्र या अलग संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता है।ऐसी परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं है।

ग

डी.

क्या विवादित न्याय असमान है**?**

30. मामलों की निष्पक्षता पर आते हुए, अपीलार्थी की शिकायत यह है कि अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है और उसकी आयु लगभग 80 वर्ष है और जबकि अन्य भाई-बहनों की अपनी संपत्ति है और केवल अपीलार्थी ही सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और वह सड़कों पर होगा।हमें ध्यान देना चाहिए कि अपील केवल प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ रखी जाती है जिसके द्वारा शेयर घोषित किए गए हैं।इसलिए, हम संपत्तियों के आवंटन के बारे में सवाल में जाने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जो अंतिम डिक्री कार्यवाही में जाने का मामला है।जहाँ तक संपत्तियों का वास्तविक विभाजन का संबंध है, यह अपीलार्थी पर है कि वह इस संबंध में ऐसी दलीलें उठाए जो इस संबंध में उपलब्ध हैं।

ई.

च

31. इसलिए, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं देखते हैं।याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी।दलों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

जी.

32. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

एच.